

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सरसों के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–12–2022 तक कर सकते हैं।

सरसों के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 1200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NMEO-Oilseeds Cluster demonstration on Rapeseed and Mustard (Assistance Rs. 1200/- acre) for Rabi 2022-23							
Sr. No	District	Total		Gen. Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	47.5	0.57	38	0.46	9.5	0.11
2	Bhiwani	135	1.62	108	1.30	27	0.32
3	C. Dadri	120	1.44	96	1.15	24	0.29
4	Faridabad	45	0.54	36	0.43	9	0.11
5	Fathabad	90	1.08	72	0.86	18	0.22
6	Gurgaon	80	0.96	64	0.77	16	0.19
7	Hisar	95	1.14	76	0.91	19	0.23
8	Jhajjar	100	1.2	80	0.96	20	0.24
9	Jind	95	1.14	76	0.91	19	0.23
10	Karnal	90	1.08	72	0.86	18	0.22
11	Kurukshetra	90	1.08	72	0.86	18	0.22
12	Kaithal	90	1.08	72	0.86	18	0.22
13	M.Garh	150	1.8	120	1.44	30	0.36
14	Mewat	110	1.32	88	1.06	22	0.26
15	Panchkula	45	0.54	36	0.43	9	0.11
16	Panipat	90	1.08	72	0.86	18	0.22
17	Palwal	90	1.08	72	0.86	18	0.22
18	Sonipat	120	1.44	96	1.15	24	0.29
19	Rohtak	135	1.62	108	1.30	27	0.32
20	Rewari	105	1.26	84	1.01	21	0.25
21	Sirsa	120	1.44	96	1.15	24	0.29
22	Y. Nagar	135	1.62	108	1.30	27	0.32
	Total	2177.5	26.13	1742	20.90	435.5	5.23

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विकेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

**अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।**

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल—तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 8 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सोनीपत व यमुनानगर) में सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25–02–2023 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 1600/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NEMEO-Oilseeds Cluster Demonstration Sunflower (Assistance Rs. 1600/- acre.) for Rabi 2022-23							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	310	4.96	248	3.968	62.00	0.99
2	Kurukshetra	300	4.8	240	3.84	60.00	0.96
3	Karnal	100	1.6	80	1.28	20.00	0.32
4	Kaithal	80	1.28	64	1.024	16.00	0.26
5	Panipat	80	1.28	64	1.024	16.00	0.26
6	Panchkula	80	1.28	64	1.024	16.00	0.26
7	Sonipat	80	1.28	64	1.024	16.00	0.26
8	Y. Nagar	220	3.52	176	2.816	44.00	0.70
	Total	1250	20.00	1000	16.00	250	4.00

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 4 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, व यमुनानगर) में सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

सरसों के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 2000/- एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NCEO-Oilseeds- Cluster Demonstration Rape seed & Mustard with Bee keeping (Assistance Rs. 2000/- acre) for Rabi 2022-23							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	40	0.80	32	0.64	8	0.16
2	Kurukshetra	40	0.80	32	0.64	8	0.16
3	Karnal	70	1.40	56	1.12	14	0.28
4	Y. Nagar	50	1.00	40	0.80	10	0.20
	Total	200	4.00	160	3.20	40	0.80

विशेष दिशा निर्देशः—

1. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सरसों के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
2. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बाधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के 4 जिलों (अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, व यमुनानगर) में सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-03-2023 तक कर सकते हैं।

सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹ 2400/- एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NEMO-Oilseeds-Cluster demonstration Sunflower with Bee keeping (Assistance Rs. 2400/- acre) for Rabi 2022-23							
Sr. No	District	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	60	1.44	48	1.15	12	0.29
2	Kurukshetra	60	1.44	48	1.15	12	0.29
3	Karnal	30	0.72	24	0.58	6	0.14
4	Y. Nagar	50	1.20	40	0.96	10	0.24
	Total	200	4.80	160	3.84	40	0.96

विशेष दिशा निर्देश:-

1. इस मद में लाभ लेने के लिए किसान को सूरजमुखी के साथ मधुमक्खी पालन अनिवार्य है
2. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
3. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
4. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 30-11-2022 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्में सरसों के बीज वितरण पर ₹ 4000/- विवंटल सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets of NEMO-Oilseeds Seed distribution of HYVs Mustard (Assistance Rs. 4000/- qtl.) for Rabi 2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakhs)	Phy. (in qtl)	Fin. (Rs. in Lakhs)
1	Ambala	90	3.60	72	2.88	18	0.72
2	Bhiwani	210	8.40	168	6.72	42	1.68
3	C. Dadri	150	6.00	120	4.80	30	1.20
4	Faridabad	60	2.40	48	1.92	12	0.48
5	Fatehabad	110	4.40	88	3.52	22	0.88
6	Gurgaon	100	4.00	80	3.20	20	0.80
7	Hisar	120	4.80	96	3.84	24	0.96
8	Jhajjar	140	5.60	112	4.48	28	1.12
9	Jind	110	4.40	88	3.52	22	0.88
10	Karnal	110	4.40	88	3.52	22	0.88
11	Kurukshetra	110	4.40	88	3.52	22	0.88
12	Kaithal	110	4.40	88	3.52	22	0.88
13	M.Garh	140	5.60	112	4.48	28	1.12
14	Mewat	120	4.80	96	3.84	24	0.96
15	Panchkula	75	3.00	60	2.40	15	0.60
16	Panipat	80	3.20	64	2.56	16	0.64
17	Palwal	80	3.20	64	2.56	16	0.64
18	Sonipat	110	4.40	88	3.52	22	0.88
19	Rohtak	120	4.80	96	3.84	24	0.96
20	Rewari	140	5.60	112	4.48	28	1.12
21	Sirsa	110	4.40	88	3.52	22	0.88
22	Y. Nagar	90	3.60	72	2.88	18	0.72
	Total	2485	99.40	1988	79.52	497	19.88

विशेष दिशा निर्देशः—

- 1 एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

**अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।**

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में राईजोबियम/फॉसफोरस घोलक जीवाणु कल्चर के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

राईजोबियम व फॉसफोरस घोलक जीवाणु के वितरण पर अनुदान ₹0 120/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NCEO-Oilseeds -Supply of Rhizobium Culture/PSB/ZSB/Azatobector/Mycorrhiza Culture (Assistant Rs. 120/ acre.) Rabi 2022-23							
Sr. No .	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	70	0.08	56	0.067	14	0.02
2	Bhiwani	270	0.32	216	0.259	54	0.06
3	C. Dadri	170	0.20	136	0.163	34	0.04
4	Faridabad	100	0.12	80	0.096	20	0.02
5	Fathabad	170	0.20	136	0.163	34	0.04
6	Gurgaon	80	0.10	64	0.077	16	0.02
7	Hisar	220	0.26	176	0.211	44	0.05
8	Jhajjar	120	0.14	96	0.115	24	0.03
9	Jind	170	0.20	136	0.163	34	0.04
10	Karnal	120	0.14	96	0.115	24	0.03
11	Kurukshetra	120	0.14	96	0.115	24	0.03
12	Kaithal	120	0.14	96	0.115	24	0.03
13	M.Garh	220	0.26	176	0.211	44	0.05
14	Mewat	120	0.14	96	0.115	24	0.03
15	Panchkula	70	0.08	56	0.067	14	0.02
16	Panipat	80	0.10	64	0.077	16	0.02
17	Palwal	120	0.14	96	0.115	24	0.03
18	Sonipat	80	0.10	64	0.077	16	0.02
19	Rohtak	120	0.14	96	0.115	24	0.03
20	Rewari	220	0.26	176	0.211	44	0.05
21	Sirsa	120	0.14	96	0.115	24	0.03
22	Y. Nagar	120	0.14	96	0.115	24	0.03
	Total	3000	3.60	2400	2.880	600	0.72

विशेष दिशा निदेशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण रसायन/कीटनाशकों/जैव कीटनाशक/खरपतवारनाशक/बायो एजेन्ट/सूक्ष्म तत्व के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन/कीटनाशकों/जैव कीटनाशक/खरपतवारनाशक/बायो एजेन्ट/सूक्ष्म तत्व के वितरण पर अनुदान ₹0 200/एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NEMO-Oilseeds Supply of PP Chemicals/Insecticides/Bio Pesticides/Weedicides/Bio Agents/Micronutrient (Assistant Rs.200/acre) Rabi 2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	140	0.28	112	0.22	28	0.06
2	Bhiwani	490	0.98	392	0.78	98	0.20
3	C. Dadri	200	0.40	160	0.32	40	0.08
4	Faridabad	140	0.28	112	0.22	28	0.06
5	Fathabad	385	0.77	308	0.62	77	0.15
6	Gurgaon	245	0.49	196	0.39	49	0.10
7	Hisar	385	0.77	308	0.62	77	0.15
8	Jhajjar	245	0.49	196	0.39	49	0.10
9	Jind	385	0.77	308	0.62	77	0.15
10	Karnal	245	0.49	196	0.39	49	0.10
11	Kurukshetra	245	0.49	196	0.39	49	0.10
12	Kaithal	245	0.49	196	0.39	49	0.10
13	M.Garh	630	1.26	504	1.01	126	0.25
14	Mewat	240	0.48	192	0.38	48	0.10
15	Panchkula	140	0.28	112	0.22	28	0.06
16	Panipat	140	0.28	112	0.22	28	0.06
17	Palwal	245	0.49	196	0.39	49	0.10
18	Sonipat	245	0.49	196	0.39	49	0.10
19	Rohtak	385	0.77	308	0.62	77	0.15
20	Rewari	385	0.77	308	0.62	77	0.15
21	Sirsa	245	0.49	196	0.39	49	0.10
22	Y. Nagar	245	0.49	196	0.39	49	0.10
Total		6250	12.50	5000	10.00	1250	2.50

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

न्यूक्लीयर पोली हाईड्रोसीस वायरस के वितरण पर अनुदान ₹0 200 /एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NEMO-Oilseeds Nuclear polyhedrosis Virus (NPV) (Assistant Rs.200/acre) Rabi 2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in acre)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	50	0.10	40	0.08	10	0.02
2	Bhiwani	100	0.20	80	0.16	20	0.04
3	C. Dadri	50	0.10	40	0.08	10	0.02
4	Faridabad	50	0.10	40	0.08	10	0.02
5	Fathabad	50	0.10	40	0.08	10	0.02
6	Gurgaon	50	0.10	40	0.08	10	0.02
7	Hisar	100	0.20	80	0.16	20	0.04
8	Jhajjar	50	0.10	40	0.08	10	0.02
9	Jind	50	0.10	40	0.08	10	0.02
10	Karnal	50	0.10	40	0.08	10	0.02
11	Kurukshetra	50	0.10	40	0.08	10	0.02
12	Kaithal	50	0.10	40	0.08	10	0.02
13	M.Garh	100	0.20	80	0.16	20	0.04
14	Mewat	50	0.10	40	0.08	10	0.02
15	Panchkula	50	0.10	40	0.08	10	0.02
16	Panipat	50	0.10	40	0.08	10	0.02
17	Palwal	50	0.10	40	0.08	10	0.02
18	Sonipat	50	0.10	40	0.08	10	0.02
19	Rohtak	50	0.10	40	0.08	10	0.02
20	Rewari	50	0.10	40	0.08	10	0.02
21	Sirsa	50	0.10	40	0.08	10	0.02
22	Y. Nagar	50	0.10	40	0.08	10	0.02
	Total	1250	2.50	1000	2.00	250	0.50

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण समूह के अंतर्गत किसान भाईयों को हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण संसाधन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति के किसानों को 600/- रुपये प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for NMEO- Oilseeds Supply of Plant Protection Equipments 2022-23 (Manual Sprayer) Target in no. (Assistance Rs. 600/-)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy (in Nos.)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	10	0.06	8	0.05	2	0.01
2	Bhiwani	40	0.24	32	0.19	8	0.05
3	C. Dadri	25	0.15	20	0.12	5	0.03
4	Faridabad	20	0.12	16	0.10	4	0.02
5	Fathabad	15	0.09	12	0.07	3	0.02
6	Gurgaon	15	0.09	12	0.07	3	0.02
7	Hisar	25	0.15	20	0.12	5	0.03
8	Jhajjar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
9	Jind	20	0.12	16	0.10	4	0.02
10	Karnal	10	0.06	8	0.05	2	0.01
11	Kurukshetra	10	0.06	8	0.05	2	0.01
12	Kaithal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
13	M.Garh	30	0.18	24	0.14	6	0.04
14	Mewat	15	0.09	12	0.07	3	0.02
15	Panchkula	10	0.06	8	0.05	2	0.01
16	Panipat	15	0.09	12	0.07	3	0.02
17	Palwal	20	0.12	16	0.10	4	0.02
18	Sonipat	15	0.09	12	0.07	3	0.02
19	Rohtak	15	0.09	12	0.07	3	0.02
20	Rewari	25	0.15	20	0.12	5	0.03
21	Sirsa	20	0.12	16	0.10	4	0.02
22	Y. Nagar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
	Total	400	2.40	320	1.92	80	0.48

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बद्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय मिशन खाद्य तेल-तिलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2022 तक कर सकते हैं।

मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सामान्य श्रेणी, अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति के किसानों को 8000/- रुपये, प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for NMEO-Oilseeds Supply of Plant Protection equipments 2022-23 (Power Operated) Target in No. (Assistance Rs. 8000/-)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In Lakhs)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In lakhs)	Phy. (in No.)	Fin. (Rs. In Lakhs)
1	Ambala	10	0.8	8	0.64	2	0.16
2	Bhiwani	40	3.2	32	2.56	8	0.64
3	C. Dadri	25	2	20	1.6	5	0.4
4	Faridabad	20	1.6	16	1.28	4	0.32
5	Fathabad	15	1.2	12	0.96	3	0.24
6	Gurgaon	15	1.2	12	0.96	3	0.24
7	Hisar	25	2	20	1.6	5	0.4
8	Jhajjar	15	1.2	12	0.96	3	0.24
9	Jind	20	1.6	16	1.28	4	0.32
10	Karnal	10	0.8	8	0.64	2	0.16
11	Kurukshetra	10	0.8	8	0.64	2	0.16
12	Kaithal	15	1.2	12	0.96	3	0.24
13	M.Garh	30	2.4	24	1.92	6	0.48
14	Mewat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
15	Panchkula	10	0.8	8	0.64	2	0.16
16	Panipat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
17	Palwal	20	1.6	16	1.28	4	0.32
18	Sonipat	15	1.2	12	0.96	3	0.24
19	Rohtak	15	1.2	12	0.96	3	0.24
20	Rewari	25	2	20	1.6	5	0.4
21	Sirsa	20	1.6	16	1.28	4	0.32
22	Y. Nagar	15	1.2	12	0.96	3	0.24
Total		400	32.00	320	25.6	80	6.40

विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा